न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 12/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
सवाईसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत
निवासी लापूंदडा गिडा बाड़मेर (मैसर्स
बाड़मेर मिष्ठान भण्डार, माधव होटल
के पास बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 05.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स बाड़मेर मिष्ठान भण्डार, माधव होटल के पास बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **14.03.2022** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई मेसू (बेसन, मेंदा, सोयाबिन तेल से निर्मित)** जो कि एक लोहे की थाल में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि०ग्रा० मिठाई मेसू (बेसन, मेंदा, सोयाबिन तेल से निर्मित)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1616** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई मेसू (बेसन, मेंदा, सोयाबिन तेल से निर्मित)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **28.03.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई मेसू (बेसन, मेंदा, सोयाबिन तेल से निर्मित)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब में प्रकट किया कि प्रस्तुत रिपोर्ट हमें मंजूर है तथा जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) की उल्लंघना के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जवाब में प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैम्पल लेने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उक्त सैम्पल जिस दिन लिया गया उस दिन अप्रार्थी द्वारा नमकीन बनाई जा रही थी एवं इस हेतु वहां पर निर्माण सामग्री रखी हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

थी। अप्रार्थी की दुकान में सिर्फ माल तैयार किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी दुकान पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है और उसके यहां से किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री की सैम्पलिंग नहीं की गई है। सैम्पल को प्रयोगशाला जांच भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का भी अभाव है। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.03.2022** में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of extracted fat at 40^0 C मानक स्तर 58.5 से 68.0 के मुकाबले 55.65 का तथा Iodine value मानक स्तर 120.0 से 141.0 के मुकाबले 92.13 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब, ऐतराज प्रकट नहीं किया गया। परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के नोटिस के लिखित जवाब में प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सैम्पल लेने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उक्त सैम्पल जिस दिन लिया गया उस दिन अप्रार्थी द्वारा नमकीन बनाई जा रही थी एवं इस हेतु वहां पर निर्माण सामग्री रखी हुई थी। अप्रार्थी की दुकान में सिर्फ माल तैयार किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी दुकान पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है और उसके यहां से किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री की सैम्पलिंग नहीं की गई है। सैम्पल को प्रयोगशाला जांच भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य का भी अभाव है। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा परिवाद में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में कोई ठोस, तथ्यात्मक एवं संतुष्टिपरक जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:11 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर